The Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Rajasthan Amendment) Act, 2019

Act 1 of 2020

Keyword(s):
Amendment of section 3, Central Act No. 34 of 2003

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	माघ 1, मंगलवार, *शाके* 1941–जनवरी 21, 2020 *Magha 1, Tuesday, Saka 1941–January 21, 2020*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, January 16, 2020

No. F. 2(30)Vidhi/2/2019.- The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the President on the 31st day of December, 2019 and is hereby published for general information:-

THE CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS (PROHIBITION OF ADVERTISEMENT AND REGULATION OF TRADE AND COMMERCE, PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) (RAJASTHAN AMENDMENT) ACT, 2019

(Act No. 1 of 2020)

(Received the assent of the President on the 31st day of December, 2019)

An

Act

further to amend the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003, in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Rajasthan Amendment) Act, 2019.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 3, Central Act No. 34 of 2003.- In section 3 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (Central Act No. 34 of 2003), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing clause (*e*) and before the existing clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

"(*ee*) "hookah bar" means an establishment where people gather to smoke tobacco from a communal hookah or narghile which is provided individually;".

3. Insertion of new section 4A, Central Act No. 34 of 2003.- After the existing section 4 and before the existing section 5 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"**4A. Prohibition of hookah bar.-** Notwithstanding anything contained in this Act, no person shall, either on his own or on behalf of any other person, open or run any hookah bar in any place including the eating house.

Explanation.- The term 'eating house' means any place where food or refreshment of any kind is provided for visitors or sold for consumption therein.".

4. Amendment of section 12, Central Act No. 34 of 2003.- In the existing sub-section (1) of section 12 of the principal Act,-

(i) in clause (*b*), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the expression "; or" shall be substituted;

(ii) after the clause *(b)*, so amended, the following shall be added, namely:-

"(*c*) where any hookah bar is being run.".

5. Insertion of new section 13A, Central Act No. 34 of 2003.- After the existing section 13 and before the existing section 14 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"**13A. Power to seize.-** If any police officer, not below the rank of Sub-Inspector, authorized by the State Government, has reason to believe that the provisions of section 4A have been, or are being, contravened, he may seize any material or article used as a subject or means of hookah bar.".

6. Insertion of new section 21A, Central Act No. 34 of 2003.- After the existing section 21 and before the existing section 22 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"**21A. Punishment for running hookah bar.-** Whoever contravenes the provisions of section 4A, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years but which shall not be less than one year and with fine which may extend to one lakh rupees but which shall not be less than fifty thousand rupees.".

7. Insertion of new section 27A, Central Act No. 34 of 2003.- After the existing section 27 and before the existing section 28 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"**27A. Offence under section 4A to be cognizable.-** An offence under section 4A shall be cognizable.".

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 16, 2020

संख्या प.2(30)विधि/2/2019.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी सिगरेट्स् एण्ड अदर टोबेको प्रोडक्ट्स (प्रोहिबिशन ऑफ एडवरटाइजमेण्ट एण्ड रेग्यूलेशन ऑफ ट्रेड एण्ड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) (राजस्थान अमेण्डमेण्ट) एक्ट, 2019 (एक्ट नं. 1 ऑफ 2020)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2019

(2020 का अधिनियम संख्यांक 1)

(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 31 दिसंबर, 2019 को प्राप्त हुई)

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 को इसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. 2003 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 34 की धारा 3 का संशोधन.- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 34), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में विद्यमान खण्ड (ङ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (च) से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ङङ) "हुक्का बार" से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है, जहां लोग किसी सामुदायिक हुक्के से, या नारगील से जो व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराया जाता है, तम्बाकू का धूम्रपान करने के लिए एकत्र होते हैं;"।

3. 2003 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 34 में नयी धारा 4क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के पश्चात् और विद्यमान धारा 5 से पूर्व, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**4क. हुक्का बार का प्रतिषेध.-** इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी भी स्थान, जिसमें भोजनालय सम्मिलित है, पर कोई हुक्का बार नहीं खोलेगा या नहीं चलायेगा।

स्पष्टीकरण.- पद 'भोजनालय' से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जहां आगन्तुकों को खाद्य या किसी प्रकार का जलपान उपलब्ध कराया जाता है या उपभोग करने के लिए उसमें विक्रीत किया जाता है।"।

4. 2003 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 34 की धारा 12 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 12 की विद्यमान उप-धारा (1) में,-

(i) खण्ड (ख) में अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) जहां कोई हुक्का बार चलाया जा रहा है।"।

5. 2003 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 34 में नयी धारा 13क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 13 के पश्चात् और विद्यमान धारा 14 से पूर्व, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**13क. अभिग्रहण की शक्ति.-** राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी, जो उप निरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 4क के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह हुक्का बार की विषय-वस्तु या साधन के रूप में उपयोग की गयी किसी भी सामग्री या वस्तु का अभिग्रहण कर सकेगा।"।

6. 2003 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 34 में नयी धारा 21क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 21 के पश्चात् और विद्यमान धारा 22 से पूर्व, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**21क. हुक्का बार चलाने के लिए दंड.-** जो कोई धारा 4क के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी किन्तु जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा।"।

7. 2003 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 34 में नयी धारा 27क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 27 के पश्चात् और विद्यमान धारा 28 से पूर्व, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**27क. धारा 4क के अधीन अपराध का संज्ञेय होना.-** धारा 4क के अधीन अपराध संज्ञेय होगा।"।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।